

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
—: मंत्रालय :-
महानदी भवन, अटल नगर
जिला रायपुर
// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/01/2020

क्र. 1673/F-01001066/ब-4/चार, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 239, 240/F-04-1001066/सम./ब-4/चार, दिनांक 23.05.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय द्वारा विभिन्न विभागों के पद संरचना में संशोधन हेतु गठित समिति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग — अध्यक्ष
2. सामान्य प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि — सदस्य
(जो उप सचिव से निम्न स्तर का न हो)
3. संबंधित विभाग का बजट देखने वाले — सदस्य
(संयुक्त सचिव/उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग)
4. संयुक्त सचिव/उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग (नियम शाखा) — सदस्य

(अपर मुख्य सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)

24-01-2020

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 1674/F-01001066/ब-4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/01/2020
प्रतिलिपि :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय,
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
4. संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
5. समस्त अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,
6. समस्त बजट शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,
—की ओर सूचनार्थ ।

24-01-2020

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग